प्रेषक,

अनुराग यादव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपीएलसी, लखनऊ।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 27 मार्च, 2025

**विषयः- मेसर्स हायर एप्लायन्सेज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड को "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017" के अन्तर्गत पूंजी उपादान का संवितरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

मेसर्स हायर एप्लायन्सेज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, हायर सिंगापुर इन्वेस्ट्मेण्ट होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड (हायर ग्रुप) की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सीडियरी कम्पनी है। हायर ग्रुप वर्ष 1984 में चीन में बना था और होम एप्लायेन्सेज के क्षेत्र में 'हॉयर' संसार के प्रमुख निर्माताओं में से एक है। मेसर्स हायर एप्लायन्सेज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड का भारत में इनकारपोरेशन दिनांक 24-02-2003 को हुआ है। निवेशक द्वारा आई.आई.टी.जी.एन.एल., ग्रेटर नोयडा में उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स जैसेकि रेफ्रीजेरेटर्स, एयरकन्डीशनर्स, वॉशिंग मशीन्स इत्यादि के उत्पादन हेतु 3 चरणों में, भूमि का मूल्य छोड़कर, लगभग रू 2804 करोड़ के निवेश से इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण इकाई की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था।

2- निवेशक द्वारा रु 1362.50 करोड़ के निवेश का अपना पुनरीक्षित प्रस्ताव दिनांक 13-08-2021 को उपलब्ध कराया गया था, जिसे सशक्त समिति की दिनांक 01 दिसम्बर 2021 को सम्पन्न बैठक में प्रस्तुत किया गया था। सशक्त समिति द्वारा उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के प्राविधानों तथा दिनांक 22 दिसम्बर 2020 को नीति कार्यान्वयन इकाई की बैठक में निर्णयों/संस्तुतियों को जो विभिन्न शर्तों के साथ उल्लिखित हैं, का संज्ञान लेते हुए सशक्त समिति द्वारा निम्नवत् प्रस्ताव मा0 मंत्रि परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाने की संस्तुति की गई थीः-

| क्र0सं0 | उपादान | प्रोत्साहन का विवरण |
|---|---|---|
| 1 | पूंजी उपादान | भूमि को छोड़कर पूंजीगत निवेश पर 15 प्रतिशत<br>(अधिकतम सीमा रु 150 करोड़ तक) |
| 2 | स्टैम्प ड्यूटी छूट | एकल ई.एस.डी.एम. इकाई हेतु भूमि के क्रय करने/पट्टे पर लेने पर शत प्रतिशत छूट<br>वास्तविक आधार पर रु 12.20 करोड़ की छूट प्राप्त हो गई है |
| 3 | नेट एस.जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति | 10 वर्षों तक नेट एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति मानक परिचालन प्रक्रिया एस.ओ.पी. दिनांक 12-06-2020 यथासंशोधित के आधार पर अनुमन्यता |
| 4 | भूमि की प्रचलित सेक्टर दरों में छूट | प्रचलित सेक्टर दरों पर 25 प्रतिशत की छूट<br>(अनुमन्य रु 65.35 करोड़ की छूट प्राप्त हो गई है) |
| अभ्युक्तिः-इकाई को 'उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017' के प्राविधानों के अन्तर्गत मिलने वाली सभी वित्तीय प्रोत्साहन उसके द्वारा किये गये स्थिर निवेश (भूमि को छोड़कर स्थिर पूंजी निवेश) के 100 | | |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक ही अनुमन्य होंगे।

3- कालान्तर में माननीय मंत्रि परिषद द्वारा अनुमोदन के अनुक्रम में मेसर्स हायर एप्लायन्सेज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत निम्नानुसार वित्तीय प्रोत्साहन कतिपय शर्तों के अन्तर्गत अनुमन्य किए जाने के सम्बन्ध में आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन का शासनादेश क्रमांक-1010/78-1-2022-87आईटी/2014टीसी-2एलसी, दिनांक 11 जुलाई 2022 तथा यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा लेटर ऑफ कम्फर्ट दिनांक 13 जुलाई 2022 निर्गत किये गयेः-

| **क्र0सं0** | **उपादान** | **प्रोत्साहन का विवरण** | **अनुमानित धनराशि (रु करोड़ में)** |
|---|---|---|---|
| 1 | पूंजी उपादान | भूमि को छोड़कर पूंजीगत निवेश पर 15 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रु 150 करोड़ तक) | 150.00 |
| 2 | स्टैम्प ड्यूटी छूट | एकल ई.एस.डी.एम. इकाई हेतु भूमि के क्रय करने/पट्टे पर लेने पर शत प्रतिशत छूट<br>वास्तविक आधार पर रु 12.20 करोड़ की छूट प्राप्त हो गई है | 12.20<br>(वास्तविक आधार पर प्राप्त हो गया है) |
| 3 | नेट एस.जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति | 10 वर्षों तक नेट एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति (मानक परिचालन प्रक्रिया एस.ओ.पी. दिनांक 12-06-2020 यथासंशोधित के आधार पर अनुमन्यता) | **नेट एस.जी.एस.टी. |
| 4 | भूमि की प्रचलित सेक्टर दरों में छूट | प्रचलित सेक्टर दरों पर 25 प्रतिशत की छूट<br>(अनुमन्य रु 65.35 करोड़ की छूट प्राप्त हो गई है) | 65.35<br>निवेशक को सम्बन्धित औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा छूट प्रदान कर दी गई है। |
| **नेट एस.जी.एस.टी. (मानक परिचालन प्रक्रिया-एस0ओ0पी0 दिनॉक 12 जून 2020 के आधार पर अनुमन्यता) | | | |

4- सन्दर्भगत शासनादेश तथा लेटर ऑफ कम्फर्ट द्वारा प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के अन्तर्गत मेसर्स हायर एप्लायन्सेज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपने पत्र दिनांक 27 फरवरी 2023 द्वारा पूंजी उपादान का संवितरण किये जाने की मांग की गई है।

5- नोडल संस्था के कार्यालय पर कार्यरत पी.एम.यू. के कन्सलटेन्ट्स तथा नोडल संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 22 सितम्बर 2023 को मेसर्स हायर एप्लायन्सेज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड का स्थलीय भ्रमण एवं निरीक्षण किया गया।

6- उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत निवेशक कम्पनियों को प्रोत्साहन संवितरण हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत दावों/अभिलेखों की प्रोसेसिंग तथा परीक्षण/ सत्यापन के लिए सूचीबद्ध वैल्यूअर/वेरीफिकेशन एजेन्सी - मेसर्स सिंह अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स को मेसर्स हायर एप्लायन्सेज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के अभिलेखों के परीक्षण/मूल्यांकन व सत्यापन हेतु वेरीफिकेशन एजेन्सी के रूप में चयनित कर कार्यादेश दिनांक 19 अप्रैल 2023 को प्रदान किया गया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

था। तद्क्रम में मेसर्स सिंह अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स द्वारा दिनांक 06 से 09 नवम्बर 2023 को इकाई के भौतिक निरीक्षण के पश्चात, मेसर्स हायर एप्लायन्सेज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड को उनकी पूँजीगत उपादान की अनुमन्यता के सम्बन्ध में अपनी आख्या नोडल संस्था-यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को दिनांक 18 दिसम्बर 2023 को प्रस्तुत की गई। वेरीफिकेशन एजेन्सी द्वारा प्रशासनिक भवन/निर्माण, फर्नीचर-फिक्स्चर्स तथा युटिलिटीज सहित निवेशक के निवेश का आगणन अपनी आख्या के पृष्ठ 12 पर, बिन्दु (जी) के अन्तर्गत निम्नवत् दर्शाया गया हैः-

| विवरण | दावे के अनुसार कुल निवेश (रुपये) | वैल्युअर की आख्या के अनुसार अपात्र निवेश (रुपये) | पात्र निवेश धनराशि (रुपये) |
|---|---|---|---|
| भवन | 474,04,31,075.00 | 17,20,78,603.00 | 456,83,52,472.00 |
| संयंत्र एवं मशीनरी | 416,32,03,232.00 | 45,53,90,674.00 | 370,78,12,558.00 |
| कुल योग | 890,36,34,307.00 | 62,74,69,277.00 | 827,61,65,030.00 |
| पात्र निवेश राशि की 15% संस्तुत प्रोत्साहन राशि | | | 124,14,24,754.00 |

7- मेसर्स हायर एप्लायन्सेज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड की पूंजी उपादान की मांग पर नीति कार्यान्वयन इकाई की दिनांक 11 जनवरी 2024 को आहूत बैठक में विचार किया गया। नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा पाया गया कि वर्तमान में 'उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन)' प्रचलित है। उक्त नीति के अन्तर्गत इकाइयों को प्रोत्साहन हेतु प्रक्रिया के निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-1901/78-1-2020-05आईटी/2020, दिनांक 11 जनवरी 2021 में व्यवस्था है कि रु 200 करोड़ के समतुल्य अथवा कम निवेश वाले मामले में लेटर ऑफ कम्फर्ट तथा वास्तविक निवेश के अनुसार विचार एवं अनुमोदन हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा रु 200 करोड़ से अधिक निवेश वाले मामले में नीति कार्यान्वयन इकाई की संस्तुति के पश्चात सशक्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। अनुमोदन उपरान्त, धनराशि उपलब्ध होने की दशा में, स्वीकृत धनराशि नोडल संस्था द्वारा शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात अवमुक्त की जायेगी। उक्त शासनादेश में यह भी व्यवस्था है कि रु 200 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रकरणों को सशक्त समिति की संस्तुति के पश्चात मा. मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रथम संवितरण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। तत्पश्चात अनुवर्ती वितरण सशक्त समिति के ही अनुमोदन के पश्चात किये जायेंगे। नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत प्रोत्साहन संवितरण के मामलों में भी उक्त व्यवस्था को अंगीकृत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, अतः विचाराधीन प्रकरण में भी इसी प्रकार की व्यवस्था रहेगी।

8- नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रकरण को उपयुक्त पाते हुए मेसर्स हायर एप्लायन्सेज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूँजी उपादान (रू 133.5545 करोड़) की मांग के सापेक्ष वैल्युअर मेसर्स सिंह अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स द्वारा संस्तुत पूंजी उपादान धनराशि रु 1,24,14,24,754/- (रू 124.1425 करोड़) के पूंजीगत उपादान संवितरण किये जाने हेतु प्रकरण को सशक्त समिति की अनुशंसा हेतु संस्तुति प्रदान की गई।

9- प्रकरण में नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा की गई संस्तुतियों पर सशक्त समिति द्वारा दिनांक 24 मई 2024 को सम्पन्न बैठक में विचार किया गया। सशक्त समिति द्वारा मेसर्स हायर एप्लायन्सेज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड को रू 133.5545 करोड़ की मांग के सापेक्ष रु 1,24,14,24,754/- (रू 124.1425 करोड़) का पूंजीगत उपादान संवितरण किये जाने हेतु प्रकरण को मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाने हेतु अनुशंसा की गई।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10- प्रश्नगत प्रकरण में मेसर्स हायर एप्लायन्सेज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड को सशक्त समिति द्वारा की गई अनुशंसा के क्रम में रु0 1,24,14,24,754/- (रूपये एक सौ चौबीस करोड़ चौदह लाख चौबीस हजार सात सौ चौवन मात्र) के पूंजीगत उपादान के संवितरण के प्रस्ताव पर मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, जिसमें से रू0 93.00 करोड़ वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस मद हेतु उपलब्ध बजट धनराशि से स्वीकृत किया जायेगा तथा अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

11- नोडल संस्था द्वारा इकाई को पूंजीगत उपादान के संवितरण हेतु शासन से धनराशि की स्वीकृति प्राप्त करने तथा शासनादेश संख्या-133/78-1-2018-123आईटी/2016, दिनांक 31 जनवरी 2018 का अनुपालन एवं तद्रूरूप औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए इकाई को पूंजीगत उपादान संवितरण की कार्यवाही किया जाये। संवितरण से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाय कि उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के प्राविधानों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं हो रहा हो। साथ ही सुसंगत शासनादेशों/अधिनियम/नियम/विनियम/दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे तथा किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए नोडल संस्था यूपीएलसी स्वयं उत्तरदायी होगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनुराग यादव
प्रमुख सचिव

संख्या:-20/2025/410(1)/78-1-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
8- अपर निदेशक/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, गौतमबुद्ध नगर।
9- गोपन अनुभाग-1 को उनके पत्र संख्या:-4/3/3/2025-सी0एक्स0(1), दिनांक 27-03-2025 के संदर्भ में।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नेहा जैन
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।